सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/334** दायर दिनाँक **05.12.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामूराम पुत्र चुनाराम, जाति—मेघवाल, निवासी—पालोट, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. गिरधारीराम पुत्र हणुताराम, 2. ओमप्रकाश पुत्र हणुताराम, समस्त,जाति—जाट, निवासी—पालोट, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 3. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित :—

1. श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी, वकील, वादी।
2. श्री हरफूल राव, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की ओर से।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **15.12.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, शरहद पालोट मे खसरा नम्बर 150 रकबा 29 बीघा, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की खातेदारी में दर्ज है।

वादग्रस्त भूमि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 द्वारा संयुक्त रूप से खरीद की हुई है एवं उसी दिन मुझ वादी द्वारा एक लिखापढी प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के पक्ष में इस आशय की हुई है। उक्त खेत में से रकबा 09 बीघा पश्चिमी दिशा की भूमि वादी के बन्ट में रहेगी एवं रकबा 20 बीघा भूमि प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के हक व बन्ट में रहेगी।

मौके पर वादी व प्रतिवादीगण के बीच बन्टवारा हो रखा है एवं वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के खेत की सींवें—नींवें कायम कर अपने—अपने हक अधिकार व बन्ट की भूमि पर कब्जाकाश्त है।

वाद के साथ संलग्न नजरीनक्शा में दर्शाए अनुसार मार्क ए बी सी डी भाग पर रकबा 09 बीघा भूमि पर वादी का कब्ताकाश्त है। उक्त भूमि वादी के बन्ट व हक अधिकार में आयी हुई है। मार्क सी डी ई एफ जी रकबा 10 बीघा पर प्रतिवादी संख्या 01 गिरधारीराम का

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

कब्जाकाश्त है। मार्क एफ जी एच आई जे रकबा 10 बीघा पर प्रतिवादी संख्या 02 ओमप्रकाश काबिज है एवं उक्त भूमि उसके कब्जाकाश्त की है।

मौके पर उक्त भूमि का बन्टवारा हो चुका है परन्तु बान्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के नहीं होने से सीमा विवाद होने से दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादी है कि–

शरहद पालोट में खसरा नम्बर 150 रकबा 29 बीघा की कृषि भूमि का वादपत्र के नजरीनक्शा मौका अनुसार विधिवत् बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के किया जाकर वादी के हिस्से की रकबा 09 बीघा भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के रकबा 10 बीघा व 10 बीघा भूमि का बन्टवारा किया जाकर खातेदारी घोषित किया जावे। वादी के हक में प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 03 बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की ओर से वाद में इकबालिया जवाब पेश किया गया।

वाद के संलग्न, वाद के समर्थन में वादी का शपथ–पत्र, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", नक्शा ट्रेश किश्तवार मौजा पालोट की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 तक खेवट संख्या 34/26 खसरा नम्बर 150 की प्रमाणित प्रतिलिपि, है।

विद्वान वकुलाय पक्षकारान् की सारगर्भित बहस सुनी गयी। वादी दावा अनुसार दावा डिक्री किया जाने की इस्तदुआ कर रहे है। प्रतिवादीगण ने वाद मे इकबालिया जवाब पेश कर, दावा डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। वाद में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 दावा डिक्री करवाने चाहते हैं कि– शरहद पालोट में खसरा नम्बर 150 रकबा 29 बीघा में से, वाद के साथ पेश नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मार्क ए बी सी डी भूमि रकबा 09 बीघा का वादी को व मार्क सी डी ई एफ भूमि रकबा 10 बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 को तथा मार्क एफ जी एच आई भूमि रकबा 10 बीघा का प्रतिवादी संख्या 02 को खातेदार घोषित किया जावे। वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है।

वाद के साथ पेश नजरीनक्शा में दर्शित अनुसार रकबा 09 बीघा का वादी को व रकबा 10 बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 को तथा रकबा 10 बीघा का प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में खातेदारी घोषित किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2017/334
दायर दिनाँक 05.12.2017, निर्णय दिनाँक 15.12.2017
रामूराम बनाम् गिरधारीराम, वगैरा।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, शरहद पालोट पटवार क्षेत्र पालोट भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कोलिया तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान में खसरा नम्बर 150 रकबा 29 बीघा का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", में दर्शित मुताबिक, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. रकबा 09 बीघा का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. रकबा 10 बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. रकबा 10 बीघा का प्रतिवादी संख्या 02 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **15.12.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाइ
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः **2017/334** दायर दिनाँक **05.12.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामूराम पुत्र चुनाराम, जाति—मेघवाल, निवासी—पालोट, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. गिरधारीराम पुत्र हणुताराम, 2. ओमप्रकाश पुत्र हणुताराम, समस्त,जाति—जाट, निवासी—पालोट, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 3. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरुस्ती, घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक **15.12.2017**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी, वकील, वादी व श्री हरफूल राव, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, शरहद पालोट पटवार क्षेत्र पालोट भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कोलिया तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान में खसरा नम्बर 150 रकबा 29 बीघा का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", में दर्शित मुताबिक, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती हैः—

1. रकबा 09 बीघा का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. रकबा 10 बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. रकबा 10 बीघा का प्रतिवादी संख्या 02 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—.............. बाबत................ ...—...................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........—.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **15.12.2017** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	—		महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–334–2017 / रीडर / 2017 / 57 दिनाँक 10/1/18

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामूराम पुत्र चुनाराम, जाति–मेघवाल, निवासी–पालोट, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. गिरधारीराम पुत्र हणुताराम, 2. ओमप्रकाश पुत्र हणुताराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–पालोट, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 3. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner